पर्चा डिक्री

यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:– 467/2025

1. मनदीप सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

वनाम्

1 सुखमन्द्र सिह पुत्र जंगीरसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2. किरण कौर पुत्री सुखमन्द्र सिंह पत्नी लखविन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 एम.डी. मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ।

3. ज्योति कौर पुत्री सुखमन्द्र सिह पत्नी मनमोहनसिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 11/11/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती हैः– चकनं0 3 जीजीआर के खाता सं0 30/37 में कुल 1.265 है0 में से 2/5 हिस्सा तथा इसी चक के खाता सं0 34/35 में कुल 506 है० मेरो 2/5 हिस्सा, इसी चक के खाता सं0 202/32 में कुल 1.265 है0 में से 2/5 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 31/91 में कुल 4.262 है० में से 599/2786 हिस्सा आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चकनं0 3 जीजीआर के खाता सं0 31/91, 30/37, 34 /35, 202/32 मे से प्रतिवादीसं० 1 सुखमन्द्र सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हों तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

Scanned with OKEN Scanner